पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 154/2014 787 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
कटिहार।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मनिहारी,
कटिहार।

पटना, दिनांक– 26/6/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्वति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2017–18 के ग्रुप सं0–04 के कार्य नगर पंचायत, मनिहारी अन्तर्गत वार्ड नं0–03, बलदियाबाड़ी स्कूल के बगल में पोखर से सटा पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के आवंटन के सम्बन्ध में। **(ग्रुप सं0–04)**

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार का पत्रांक–209 (अनु0), दिनांक– 29.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र से ई–टेंडरिंग पद्वति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0–03/2017–18 के ग्रुप सं0–04 के कार्य नगर पंचायत, मनिहारी अन्तर्गत वार्ड नं0–03, बलदियाबाड़ी स्कूल के बगल में पोखर से सटा पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य हेतु लॉट्री प्रक्रिया में चयनित एवं सफल निविदाकार श्री नरसिंह कुमार यादव, चन्दवा, रौतारा, कटिहार को यह कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि रू0 46,40,675/– (रूपये छियालिस लाख चालीस हजार छः सौ पचहत्तर) मात्र से 10% (दस प्रतिशत) कम दर जिसकी कुल राशि रू0 41,76,607/– (रूपया एकतालीस लाख छिहत्तर हजार छः सौ सात) रू0 मात्र है, पर आवंटित किया जाता है।
कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजात से संतुष्ट होने के उपरान्त एकरारनामा करेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मनिहारी, कटिहार सभी कागजात का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगेः–

1. कार्य समाप्ति की अवधि 03 (तीन) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।

कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराया जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री–लेवेल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढंग से की जा सके।
9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
10 पथ के फ्लैंक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैंक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
11. निर्माण कार्य में लगने वाले स्ट्रक्चरल स्टील Tata या SAIL Make का होना चाहिए।
12. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
13. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
14. सुगम जल निकासी हेतु नाला निर्माण में प्रारंभिक बिन्दु से निकासी बिन्दु तक लेभेल लेकर नाला का स्लोप निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे।
15. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
16. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 26.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 154/2014 787 पटना, दिनांक– 26/6/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर) 26.6.18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।